समाचार

प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग उपयोग पर होगी कार्यवाही

कोरबा 22 दिसम्बर 2020 –प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग, डिस्पोजल, क्लोरिनयुक्त फ्लैक्स, पी.व्ही.सी. सीट आदि का उपयोग, विक्रय, भण्डारण व निर्माण करने पर निगम द्वारा संबंधित के विरूद्ध नियमों के तहत आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। निगम द्वारा संबंधितों से कहा गया है कि वे प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग सहित अन्य प्रतिबंधित डिस्पोजल सामग्रियों आदि का विक्रय, उपयोग न करें।

यहां उल्लेखनीय है कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2018 के प्रावधानों के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में प्लास्टिक कैरीबैग, अल्पजीवन पी.व्ही.सी. एवं क्लोरिनयुक्त प्लास्टिक पी.व्ही.सी.के बैनर, फ्लैक्स होडिंग, फोम बोर्ड तथा खानपान के प्रयुक्त प्लास्टिक की वस्तुओं डिस्पोजल आदि का निर्माण व उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा इन प्रतिबंधित सामग्रियों के उपयोग को रोकने की दिशा में समय–समय पर सतत रूप से कार्यवाही की जा रही है। निगम द्वारा व्यवसायियों एवं आमजन से अपील की गई है कि वे इन प्रतिबंधित वस्तुओं का विक्रय, उपयोग, भण्डारण आदि न करें, अन्यथा इनका उपयोग करते पाए जाने पर नियमों के तहत सामग्रियों की जप्ती व अर्थदण्ड की कार्यवाही की जाएगी।